न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:–28 / 2025

तारीख दायर–20.06.2025

तारीख–निर्णय–

1. श्री बावरू पिता लखमा मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चोविसा

अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: :निर्णय : :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा कचुमरा, पटवार हल्का लकुकालेवा भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 125 व पुराना 119 में वर्णित आराजी संख्या 162 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 191 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 194 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 195 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 197 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्वर 199 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी 200 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी 201 रकबा 0.0972 हैक्टेयर आराजी 204 रकबा 0.1512 हैक्टेयर आराजी 205 रकबा 0.0864 हैक्टेयर आराजी 209 रकबा 0. 0108 हैक्टेयर किता 14 कुल रकबा 1.0692 हैक्टेयर भूमि एव खाता संख्या नया (127) व पुराना (121) में वर्णित आराजी 161 रकबा 4.9896 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 169 रकबा 1.5768 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 186/3 रकबा 2.2248 हैक्टेयर आराजी नम्बर 43 रकबा 0.6048 हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 9.3960 हैक्टेयर भूमि में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अन्य खातेदार की संयुक्त भूमि है उक्त वर्णीत भूमि प्रार्थी के पिता स्व0 लखमा मीणा की पेतृक भूमि है , प्रार्थी के पिता स्व0 लखमा मीणा के निधन के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरण मे सहवन से प्रार्थी का नाम बावरू के स्थान पर पदमा अंकित कर दिया गया जबकी राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीका नाम पदमा के स्थान पर बावरू अंकित होना चाहियें था इस प्रकार राजस्व रेकॉर्ड में सहवन से हुई इस प्रार्थी के नाम की त्रुटि की शुद्धि कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में जैसें राशन कार्ड, पैन कार्ड, ई–श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड,जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम बावरू है अन्तकाल खोलते समय सही जॉच नही की व न ही दस्तावेजों से अन्तकाल खोला गया जो एक लिपीकीय त्रुटी है जिसको प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी मौंजा कचुमरा पटवार हल्का लकुकालेवा भू.अ.निरीक्षक वृत्त कालीभीत तहसील लसाडिया में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कचुमरा पटवार हल्का लकुकालेवा भू.अ.निरीक्षक कालीभीत तहसील लसाडिया के मौजा कचुमरा, पटवार हल्का लकुकालेवा भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 125 व पुराना 119 में वर्णित आराजी संख्या 162 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 191 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 194 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 195 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 197 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 199 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी 200 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी 201 रकबा 0.0972 हैक्टेयर आराजी 204 रकबा 0.1512 हैक्टेयर आराजी 205 रकबा 0.0864 हैक्टेयर आराजी 209 रकबा 0.0108 हैक्टेयर किता 14 कुल रकबा 1.0692 हैक्टेयर भूमि एव खाता संख्या नया (127) व पुराना (121) में वर्णित आराजी 161 रकबा 4.9896 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 169 रकबा 1.5768 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 186/3 रकबा 2.2248 हैक्टेयर आराजी नम्बर 43 रकबा 0.6048 हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 9.3960 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अन्य खातेदारों की संयुक्त भूमि में प्रार्थी श्री पदमा पिता लखमा जाति मीणा के नाम दर्ज है। अतः भू–अभिलेख निरीक्षक कालीभीत, पटवारी हल्का लकुकालेवा एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खाता संख्या 125 नया व पुराना 119 तथा खाता संख्या नया 127 पुराना 121 में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात् खातेदार का नाम श्री पदमा पिता लखमा के वजाय बाबरू पिता लखमा किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

:–आदेशः–

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार का नाम श्री श्री पदमा पिता लखमा के बजाय बाबरू पिता लखमा किया जाना जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर